प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

सेवामे,

प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक
दी सन साइन पब्लिक स्कूल जखनियॉ, गाजीपुर।

पत्रांक / 9426-35 / स्थायी मान्यता / 2005 / 06 दिनांक– 31.03.2006

विषय– **अशासकीय बेसिक प्राइमरी पाठषाला (कक्षा 1 से 5 तक) की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1073/15-6-98-18एस (7)/89 दिनांक 13 जुलाई 1998 एवं शासनादेश संख्या 1878/15-6-98-18एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति गाजीपुर द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की स्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों / शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1– समिति के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नियमित रूप से कराया जाय।

2– विद्यालय के पास उपयुक्त प्रार्थना स्थल होना चाहिए तथा कीड़ा स्थल हेतु 1/2 एकड़ भूमि होनी चाहिए।

3– छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय के पास निजी भवन / भूमिलिन्टर्ड / टिनशेड / एसबेस्टस / खपरैल का होना चाहिए।

4– विघालय के पास उपयुक्त सुरक्षित कोष संदान आदि को सम्मिलित करते हुए प्रर्याप्त वित्तीय व्यवस्था हो।

5– शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक किसी भी छात्र / छात्राओं से शुल्क अथवा चन्दा न लिया जाय।

6– विद्यालय मे योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय किसी भी दशा मे अप्रशिक्षित अध्यापक न रखें जाय।

7– अध्यापको की नियुक्ति नियमानुसार 'उवप्रव मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली 1972 मे उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत इस कार्यालय से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8– विद्यालय मे परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं निर्देशानुसार शिक्षण व्यवस्था करायी जाय।

9– बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों के बराबर अध्यापकों को वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय ।

10- विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये विधिपूर्ण आदेशों / र्निदशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11 - विद्यालय का स्थान परिवर्तन किये जाने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

क्रमशः 02 पर———

12– यदि किसी भी तथ्य को छिपाकर यह मान्यता प्राप्त की गई होगी तो बाद मे पता चलने पर अथवा जांच करने पर मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारियों का होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृ0स0/ /2005–2006 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर।
2– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेषक (बेसिक) वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर।
5– जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
6– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
7– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
8– जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
9– परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर।
10– संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर
11 – कार्यालय पत्रावली।

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

सेवामें,

प्रबन्धक,
दी सन साइन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जखनियाँ, गाजीपुर।

पत्रांक/9466-48/जू0हा0स्कूल की मान्यता/2005-06 दिनांक : 31-12-2006

विषय :- **अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18एस(7)/89 दिनांक 13-8-98 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्थायी मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की स्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यलाय में निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद भी अनुमन्य किये जाते है :-

प्रधानाध्यापक	–	एक पद
सहायक अध्यापक	–	चार पद (एक पद विज्ञान तथा एक भाषा)
लिपिक	–	एक पद
चतुर्थ श्रेणी	–	एक पद

शासकीय/विभागीय आदेशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने पर तथा मान्यता सम्बन्धी दी गयी कोई सूचना असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता वापस ले ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

भवदीय

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

पृ0सं0/ /2005-06 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) पंचम मण्डल, वाराणसी ।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, गाजीपुर ।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
5. जिला समाज कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण अधिकारी, गाजीपुर।
6. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर।
7. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
8. कार्यालय प्रति ।

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।